

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :-संस्था/चि030/एटी/प035/15/1325

दिनांक:- 6 /05/15

:- आदेश :-

शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(1)/चि.स्वा./ग्रुप-2/2014 दिनांक 04/10/14 के अनुसरण में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम-1963 के नियम 26 में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत वॉक-एण्ड-इन्टरव्यू द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर आवश्यक तदर्थ आधार (Urgent Temporary Basis) पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों का अनुमोदन एतद् द्वारा किया जाता है :-

क्र. सं.	जिला	चिकित्सक का नाम व पता	जन्मतिथि	वर्ग	लिंग	पदस्थापन स्थान
1.	धौलपुर	डॉ० गौरव मीणा पुत्र श्री रामस्वरूप मीणा	03.05.85	ST	M	मु० चिकि. एवं स्वा० अधिकारी धौलपुर के अधीन
2.		डॉ० दीपेश अग्रवाल पुत्र श्री भीमसेन अग्रवाल	03.04.89	GEN	M	मु० चिकि. एवं स्वा० अधिकारी धौलपुर के अधीन
3.		डॉ० कुलदीप सिंघल पुत्र श्री रामनाथ सिंघल	27.09.90	GEN	M	मु० चिकि. एवं स्वा० अधिकारी धौलपुर के अधीन
4.		डॉ० राजीव कुमार गोयल पुत्र श्री अशोक कुमार	25.05.84	GEN	M	मु० चिकि. एवं स्वा० अधिकारी धौलपुर के अधीन
5.	पाली	डॉ० गौरव मेघाणी पुत्र श्री पी. आर. मेघाणी, 825 बाबू नगर विस्तार, पाली	21.07.89	GEN	M	मु० चिकि. एवं स्वा० अधिकारी पाली के अधीन
6.		डॉ० राधेश्याम पुत्र श्री गिरधारी राम ग्राम. पोस्ट हिरादेसर तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर	02.10.90	SC	M	मु० चिकि. एवं स्वा० अधिकारी पाली के अधीन

शेष शर्तें शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(1)/चि.स्वा./ग्रुप-2/2014 दिनांक 04/10/14 के अनुसार रहेगी।

नोट :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित को लेख है कि अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण के समय अनिवार्य रूप से डिग्री, आर.एम.सी. का रजिस्ट्रेशन व अन्य प्रमाण पत्रों की जांच करे तथा उपरोक्त अनुमोदन में जिन अभ्यर्थियों के प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन व चिकित्सा अधिकारी (दन्त) है तो उनको कार्यग्रहण नही करावे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1) विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 2) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 3) संभागीय आयुक्त संबंधित।
- 4) जिला कलक्टर, संबंधित।
- 5) संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान, जयपुर।
- 6) संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, संबंधित।
- 7) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संबंधित नियंत्रण अधिकारी को भेजकर लेख है कि उक्त चयनित चिकित्सकों की कार्यग्रहण की सूचना मय पदस्थापन स्थान के तीन दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करे।
- 8) प्रभाषी केन्द्रीय सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अवलोड करावे।
- 9) आदेश पत्रावली/ निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर